

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/टीसी/2023/


दिनांक :

शुद्धिकरण आदेश

निदेशालय के विभिन्न स्थानान्तरण आदेशों में निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार शुद्धिकरण किया जाता है:-

क. सं.	नाम कार्मिक एवं पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक (क.सं.)	वांछित शुद्धिकरण
1	राजबाला, एएनएम	335/09.09.2023 (116)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में सब सेंटर करमोका ब्लॉक कामां के स्थान पर करमूका ब्लॉक डीग पढा जावे।
2	मुनेश, एएनएम	335/09.09.2023 (110)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्र किरतान के स्थान पर बास किरतान पढा जावे।
3	श्रीमती विद्या देवी, एएनएम	335/09.09.2023 (40)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्र छारिया के स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र चारियां पढा जावे।
4	सुमन कुमारी, एएनएम	335/09.09.2023 (38)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में पीएचसी छापोली सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर के स्थान पर सबसेंटर परसावाली ढाणी पीएचसी छापोली सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर पढा जावे।
5	अनिता कुमारी	335/09.09.2023 (13)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्र कालख के स्थान पर पीएचसी कालख पढा जावे।
6	मनभर बाई, एएनएम	335/09.09.2023 (90)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्र सुत्रा तालेडा के स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र सीन्ता तालेडा पढा जावे।
7	सरसम्मा पीएम, एलएचवी	335/09.09.2023 (123)	कार्मिका के पदस्थापन स्थान में पीएचसी धांधण, फतेहपुर के स्थान पर पीएचसी ढांढण, फतेहपुर पढा जावे।

शेष आदेश एवं आदेश की शर्तें यथावत रहेगी।


  
(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक : 14/9/23

क्रमांक : अराज/टीसी/2023/ 344

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर के पत्रांक 1607 दि. 13.09.2023 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकि० एवं स्वा० (ग्रुप 3) विभाग, राज० जयपुर।
4. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें,  
एवं अति० निदेशक (प्रशासन),  
पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग  
राज० जयपुर०